यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/91/2018 **दिनांक :** 02.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईडीबीआई बैंक

सरकार द्वारा आईडीबीई बैंक की शेयर पूंजी में निवेश के लिए एलआईसी के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर अपना प्रतिरोध व्यक्त करते हुए एआईबीईए तथा एआईबीओए ने माननीय वित्त मंत्री को अपना संयुक्त पत्र संख्या एआईबीईए–एआईबीओए/पत्र/2018/4 दिनांक 01.8.2018 लिखा है। हम इस पत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

विषय : आईडीबीआई बैंक

हमें मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि मंत्रिमण्डल ने आईडीबीआई बैंक की शेयर पूंजी में निवेश के लिए एलआईसी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके द्वारा वे बैंक की कुल पूंजी का 51% अधिगृहित करेंगे। नतीजतन यह आईडीबीआई बैंक में सरकार के पूंजीगत हिस्से को कम कर देगा लगभग 43% प्रतिशत तक। जब आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था, तो संसद में सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक समय वे आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम 51% पूंजी को बनाये रखेंगे। तद्नुसार इसे आईडीबीआई बैंक की संस्था के अंतर्नियम में विधिवत शामिल किया गया था जो प्रदान करता है कि सरकार प्रत्येक समय 51% शेयरधारिता बनाये रखेगी।

जारी पृष्ठ 2

(खण्ड 4 : केन्द्रीय सरकार, इस कंपनी का एक अंशधारक होने के नाते, प्रत्येक समय कंपनी की जारी पूंजी के न्यूनतम 51 प्रतिशत अंशधारिता को बनाए रखेगी।)

जबकि हम आईडीबीआई बैंक की पूंजी में एलआईसी के अंशदान का स्वागत करते हैं, तो आप भी मानेंगे कि इसे 51% हिस्सेदारी की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह सरकार के हिस्से को 51% से कम कर देगा जो बैंक की संस्था के अंतर्नियम के विरूद्ध होगा और तत्कालीन एनडीए/बीजेपी शासन के दौरान, जब श्री वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, 2003 में संसद में दिये गए पवित्र आश्वासन के भी विरूद्ध होगा।

बैंक के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता इसके विशाल खराब ऋणों से उत्पन्न होती है और इसलिए तत्काल उपाय खराब ऋणों की वसूली के लिए किये जायें जो अकेले ही बैंक की पूंजीगत बाधाओं के मुद्दे का समाधान कर देगा और परिणामस्वरूप बैंक में आंतरिक पूंजी का उत्पादन होगा। हम दृढ़ता से सरकार से आग्रह करते हैं कि बैंक में खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर उपाय किये जायें।

चूंकि ऐसी स्थिति की अनुमति देना जहाँ बैंक में सरकार की पूंजीगत शेयरधारिता 51% से कम आ जाएगी जिसका बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र चरित्र पर अपना असर पड़ेगा, सरकार को निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए और अपनी शेयरधारिता को 51% से कम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

हम इस निर्णय के विरूद्ध अपना दृढ़ प्रतिरोध व्यक्त करते हैं तथा पुर्नविचार के लिए आग्रह करते हैं।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री